समक्ष: **पी. बी. बजंत्री न्यायमूर्ति**

बलवंत सिंह, याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और हरियाणा का उच्च प्रतिवादी

2013 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5424 29 मार्च, 2017

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-क्या कर्मचारी आपराधिक मामले और अनुशासनात्मक जांच में दोषमुक्त होने के बाद पदोन्नति का हकदार है?—1989 में याचिकाकर्ता को पदों के उत्सादन पर अनुवादक के पद पर वापस सम्मानित किया गया था-याचिकाकर्ता को कुछ आरोपों पर निलंबित कर दिया गया था और दो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी-याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक कार्यवाही में से एक में दोषमुक्त कर दिया गया था-दूसरे में, याचिकाकर्ता को दिनांकित निर्णय पर दंडित किया गया था-याचिकाकर्ता को 303.04.2016 पर आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था-विभिन्न प्रार्थनाओं में से इस प्रार्थना की अनुमति दी गई थी।

अभिनिर्धारित किया कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 28.04.2011 के आदेश में एक कारण यह है कि याचिकाकर्ता आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा था।आपराधिक कार्यवाही को 30.04.2016 पर दोषमुक्ति दिया गया था।नतीजतन, वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन और अन्य लाभों के पुनर्निर्धारण के संबंध में वाद हेतुक केवल 30.04.2016 यानी इस याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान ही उत्पन्न होगा।प्रतिवादी का तर्क कि याचिकाकर्ता ने दिनांकित 28.04.2011 के निर्णय को चुनौती नहीं दी है, बाद के विकास को देखते हुए कमजोर किया जाएगा कि याचिकाकर्ता को 30.04.2016 पर आपराधिक कार्यवाही में बरी कर दिया गया था।इसलिए, बाद के विकास को देखते हुए कि याचिकाकर्ता को 30.04.2016 पर आपराधिक कार्यवाही में बरी कर दिया गया है, आधिकारिक प्रतिवादी को अनुवादक के संवर्ग में याचिकाकर्ता के तत्काल कनिष्ठ के बराबर वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित याचिकाकर्ता की शिकायत पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

(पैरा 13)

गुरचरण दास, अधिवक्ता,याचिकाकर्ता के लिए।

रमन बी. गर्ग, प्रतिवादी के अधिवक्ता

पी. बी. बजंत्री जे. (मौखिक)

(1) तत्काल याचिका में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की हैः

"i) एक रिट, निर्देश का आदेश जारी करना, विशेष रूप से सरशियोरेराई की प्रकृति में दिनांक 31.3.2010 के कार्यालय आदेश को रद्द करना, जिसके द्वारा दिनांकित 8.1.2010 को अस्वीकार कर दिया गया था (अनुलग्नक पी-13), दिनांकित 11.7.2012 आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है (अनुलग्नक पी-21) और दिनांकित 18.2.2008 को माननीय समिति (अनुलग्नक पी-29) द्वारा पारित आदेश;

(ii) "मेजर सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य, 1992 (1) एस. सी. टी. पृष्ठ 436" शीर्षक वाले निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को 7.12.1991 के बजाय 29.11.1989 से सजा की अवधि पर विचार करने का परमादेश हुए एक अनिवार्य रिट जारी करें। जैसा कि श्री के मामले में किया गया है। देश पाल राणा, पाठक;iii) आगे प्रतिवादी को 8.12.1991 से 21.11.1994 तक की अवधि को दिनांकित 22.11.1989 के आरोप पत्र में सजा के रूप में "कर्तव्य पर खर्च की गई अवधि" के रूप में मानने का निर्देश देते हुए एक परमादेश पत्र जारी किया गया है। इस माननीय न्यायालय द्वारा भोला नाथ वोहरा;

iv) याचिकाकर्ता डब्ल्यू. ई. एफ. 10.4.1996 यानी 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. No.16864 में पारित निर्णय की तारीख की वरिष्ठता तय करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश हुए एक अनिवार्य रिट जारी करें;v) आगे प्रतिवादी को अंतिम पेंशन और याचिकाकर्ता के अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को ब्याज के साथ जारी करने का परमादेश हुए एक अनिवार्य रिट जारी करें जो श्री के पक्ष में जारी किए गए हैं। भोला नाथ वोहरा।"

(1) सारणीबद्ध रूप में मामले की संक्षिप्त तिथियाँ और घटनाएँ इस प्रकार हैंः

	25.4.1973 याचिकाकर्ता को

	क्लर्क नियुक्त किया गया था।
02. 01. 1978	याचिकाकर्ता को कनिष्ठ अनुवादक के पद पर पदोन्नत किया गया था
	9. 4. 1983 अनुवादक के पद पर पदोन्नत
	24. 11. 1988 सहायक पंजीयक के पद पर पदोन्नत।
	4. 10. 1989 उप–पंजीयक के पद पर पदोन्नत।

नवंबर, 1989	याचिकाकर्ता को अनुवादक के पद पर वापस भेज दिया गया।
18. 2. 1986	याचिकाकर्ता को कुछ टिप्पणियों के साथ अधीक्षक ग्रेड–II के रूप में अस्थायी आधार पर रखा गया था कि याचिकाकर्ता वरिष्ठता का हकदार है।
10. 4. 1996	याचिकाकर्ता द्वारा उनके प्रत्यावर्तन पर सवाल उठाते हुए दायर 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. No. 16864 का निपटारा कर दिया गया। याचिकाकर्ता को कुछ आरोपों पर निलंबित कर दिया गया था और दो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।
18. 01. 2008	याचिकाकर्ता को एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था।

07/12/91	एक अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को रैंक में कमी का जुर्माना लगाकर दंडित किया गया था।
26. 04. 1996	रैंक में कमी की सजा को संचित प्रभाव के साथ चार वार्षिक वृद्धि को रोकने के लिए संशोधित किया गया है।
	11. 7. 2010 याचिकाकर्ता ने प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया।
	30. 04. 2016 याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था।

(2) जबकि कनिष्ठ अनुवादक के संवर्ग में याचिकाकर्ता के तत्काल कनिष्ठ श्री बी. एस. वालिया का सेवा विवरण इस प्रकार हैः

09.10.1975 (एफएन)	पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए
16. 12. 1975	क्लर्क के रूप में पदोन्नत
2. 1. 1978'	जूनियर अनुवादक के रूप में पदोन्नत/अनुवादक के रूप में नामित
6. 2. 1998'	संरक्षक के रूप में पदोन्नत
3. 5. 2002`	अधीक्षक ग्रेड–I के रूप में पदोन्नत
8. 2. 2007'	सहायक पंजीयक के रूप में पदोन्नत
1. 2. 2011' (एएफ)	उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान

	(नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973 के नियम 33 (4) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त
21.11.2011	2011 का सी. डब्ल्यू. पी. No.21520 श्री द्वारा दायर किया गया। बी. एस. वालिया ने अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देते हुए भर्ती कराया। कोई रोक नहीं लगाई गई और जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया गया।

(3) याचिकाकर्ता ने विभिन्न पदों को उत्सादनने पर सवाल उठाया था, जिसमें उप-पंजीयक के सात अस्थायी पद और सहायक पंजीयक के पांच अस्थायी पद शामिल हैं, जिन्हें 18.11.1989 पर उत्सादन दिया गया है और वर्ष 1989 में 1994 के **सी. डब्ल्यू. पी**.16864 में प्रत्यावर्तन का आदेश पारित किया गया था।आधिकारिक प्रतिवादी ने आपत्ति जताई कि प्रत्यावर्तन के आदेश को चुनौती देने में देरी हो रही है इसलिए पदों को भी उत्सादन दिया गया है और आगे यह आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित नियुक्ति/पदोन्नति के आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के विपरीत थे और यह भी कि पदों की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने पदों के निर्माण का आदेश दिया है और याचिकाकर्ता और कुछ अन्य व्यक्तियों पर लाभों की बौछार की है।इस न्यायालय ने 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. **सं.**.7418 (सतिंदर सिंह बाजवा बनाम पंजीयक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय) में पारित दिनांकित 19.10.1995 के निर्णय का हवाला देते हुए 1994 के याचिकाकर्ता के सी. डब्ल्यू. पी. **सं.**16864 का निर्णय लेते समय इसी पर ध्यान दें था।जिसका एक अंश इस प्रकार हैः

"याचिकाकर्ता के मामले में जो हुआ है, उससे पता चलता है कि जहां तक अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर उसकी पूर्वव्यापी पदोन्नति, उस पद पर पुष्टि, अधीक्षक ग्रेड-I, सहायक पंजीयक और उप-पंजीयक के पदों पर आगे की पदोन्नति और पुष्टि का संबंध है, वैधानिक नियमों का पूर्ण निषेध किया गया है।याचिकाकर्ता की कार्यवाहक आधार पर सहायक न्यायालय अधिकारी के रूप में नियुक्ति, वरिष्ठ व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना न्यायालय अधिकारी-सह-सहायक पंजीयक और कार्यवाहक अधीक्षक ग्रेड-II के रूप

में उनकी आगे की नियुक्ति अपवादात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन अधीक्षक ग्रेड-II और अन्य उच्च पदों पर उनकी पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए कोई कानूनी या अन्य औचित्य नहीं था।न तो याचिकाकर्ता ने हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रखी है कि सहायक के कैडर में वरिष्ठता-सूची तैयार की गई थी और उसे अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में पूर्वव्यापी पदोन्नति देने से पहले अन्य मामलों पर विचार किया गया था और न ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड ऐसी वरिष्ठता सूची के अस्तित्व को दर्शाता है।इसी तरह, अधीक्षक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के लिए, अधीक्षक ग्रेड-II के संवर्ग में कोई वरिष्ठता-सूची तैयार नहीं की गई है और पात्र व्यक्तियों की उम्मीदवारी पर विचार किया गया है।सहायक पंजीयक और उप-पंजीयक के पदों पर पदोन्नति के संबंध में भी यही स्थिति है।अपरिहार्य निष्कर्ष जिस पर तथ्यों और के आधार पर पहुंचना है।

ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ देने के लिए वैधानिक नियमों के साथ-साथ अनुच्छेद 14 और 16 में निहित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।इसलिए, इन गैरकानूनी आदेशों को बरकरार रखने के लिए कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करना संभव नहीं है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अधीक्षक ग्रेड-II और अधीक्षक ग्रेड-I के रूप में पूर्वव्यापी नियुक्ति दी गई थी और फिर सहायक पंजीयक और उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नत किया गया था।इसलिए, हम संलग्नक पी18, पी19ए, पी19बी, पी19सी, पी19डी, पी19ई और पी19एफ आदेशों में कोई अवैधता नहीं पाते हैं। हालांकि, आदेश संलग्नक पी-19जी जहां तक यह याचिकाकर्ता को उप-पंजीयक के पद से सहायक के पद पर वापस लाता है, कानूनी रूप से कायम नहीं किया जा सकता है।आदेश संलग्नक पी5 के अनुसार तदर्थ आधार पर अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर याचिकाकर्ता की पदोन्नति को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि वह पदोन्नति अन्य सहायकों की वरिष्ठता के अधीन की गई थी।इसलिए, उस हद तक आदेश (अनुलग्नक पी-19जी) को संशोधित किया जाना चाहिए।"

(4) इस प्रकार, इस न्यायालय ने कुछ पदों के उत्सादन के साथ-साथ प्रत्यावर्तन को चुनौती देने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।हालाँकि, यह देखा गया कि अनुवादक के पद पर वापस जाने के बजाय, याचिकाकर्ता को अधीक्षक ग्रेड-II (एडहॉक) के पद पर वापस कर दिया गया माना जाना चाहिए, जिस पर उन्हें दिनांक 18.2.1986 के आदेश के अनुसार पदोन्नत किया गया है।नतीजतन, प्रतिवादी को वरिष्ठता के निर्धारण और विभिन्न पदों पर पदोन्नति करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया है, जिसका संदर्भ 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7418 में पारित आदेश में दिया गया है।

(5) याचिकाकर्ता को कुछ आरोपों पर निलंबित कर दिया गया था और दो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता को 18.1.2008 पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में से एक में दोषमुक्त कर

दिया गया था और एक अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उसे 17.12.1991 पर रैंक में कमी का जुर्माना लगाकर दंडित किया गया था।इसके बाद, इसे दिनांक 26.4.1996 के आदेश द्वारा संचयी प्रभाव के साथ चार वार्षिक वृद्धि को रोकने के लिए संशोधित किया गया था।याचिकाकर्ता के नाम पर श्री बी. एस. वालिया के समान पुनर्विक्रेता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया था, जो अनुवादक के फीडर कैडर में याचिकाकर्ता से तत्काल कनिष्ठ हैं, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा था और साथ ही अनुशासनात्मक बलवंत सिंह भंडार बनाम पंजाब और पंजाब के उच्च न्यायालय में लगाए गए जुर्माने की मुद्रा का सामना कर रहा था।

कार्यवाही प्रचलन में थी।जुर्माने के संशोधन और अन्य सेवा लाभों को बढ़ाने के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व का संबंध था, आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा इसकी जांच की गई और 31.3.2010 पर इस प्रकार टिप्पणी करके इसे खारिज कर दिया गयाः

"आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. **सं.**.16864 में पारित खण्ड पीठ के आदेश को लागू करने के आपके अनुरोध पर माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया है और अस्वीकार कर दिया गया है।"

(6) याचिकाकर्ता ने 11.7.2010 पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।इसे निम्नानुसार अवलोकन करके भी अस्वीकार कर दिया गया थाः

"आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके दिनांकित 18.6.2012 के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि आपके पहले के अभ्यावेदन दिनांकित 28.4.2010,02.07.2010,05.12.2011 और 19.12.2011 में समान अनुरोध हैं जो अभ्यावेदन में किए गए हैं कि 7.12.1991 के बजाय संचयी प्रभाव के साथ चार वेतन वृद्धि के जुर्माने पर विचार करने के लिए और आपकी अवधि डब्ल्यू. ई.एफ. 8.12.1991 से 21.11.1994 को 'कर्तव्य पर खर्च' के रूप में मानने के लिए वेतन और भत्तों के संतुलन सहित सभी परिणामी लाभों पर तत्कालीन माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया है और अस्वीकार कर दिया गया है।आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप भविष्य में इस संबंध में प्रशासनिक पक्ष से अभ्यावेदन न करें।"

(7) मान लीजिए कि याचिकाकर्ता अपने अभ्यावेदन की अस्वीकृति की तारीख तक किसी भी सेवा लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित थी।

(8) याचिकाकर्ता ने "मेजर सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य, 1992 (1) एस. सी. टी. पृष्ठ 436" के मामले में निर्णय के संदर्भ में प्रतिवादी को 7.12.1991 के बजाय 29.11.1989 से सजा की अवधि को मानने परमादेश देने के लिए एक रिट की मांग की है।

(9) अनुशासनात्मक नियमों के तहत जांच शुरू करने की तारीख से अर्थात् आरोप पत्र जारी करने की तारीख से जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।इसलिए, जहां तक दूसरी प्रार्थना का संबंध है, याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है और उद्धृत निर्णय अनुशासनात्मक नियमों के संदर्भ में अलग है।

(10) तीसरी प्रार्थना इस बात से संबंधित है कि 'कर्तव्य पर बिताई गई' कुछ अवधि को इस कारण से अस्वीकार्य माना जाए कि याचिकाकर्ता को सजा दी गई है और वह दो अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहा था।

और उन्हें पहली और दूसरी अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में निलंबन के तहत रखा गया था।

(11) 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. **सं**.16864 के संदर्भ में वरिष्ठता का निर्धारण; 10.4.1996 पर निर्णय लिया गया और परिणामी लाभ, श्री भोला नाथ वोहरा के बराबर वित्तीय लाभों का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वरिष्ठता और पदोन्नति से संबंधित याचिकाकर्ता की शिकायत को आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा दो आधारों पर खारिज कर दिया गया है।पहला यह कि याचिकाकर्ता को जुर्माने का सामना करना पड़ रहा था और दूसरा याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा था।प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता दिनांकित 28.4.2011 (अनुलग्नक पी-16) के निर्णय पर सवाल उठाने में विफल रहा है।उक्त आदेश को चुनौती दिए जाने की अनुपस्थिति में में, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत का हकदार नहीं है, जहां तक वरिष्ठता और पदोन्नति का संबंध है।

(12) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांकित 28.4.2011 आदेश में दिए गए कारणों में से एक कारण यह है कि याचिकाकर्ता आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा था।आपराधिक कार्यवाही को 30.4.2016 पर दोषमुक्ति दिया गया था।नतीजतन, वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन और अन्य लाभों के पुनर्निर्धारण के संबंध में वाद हेतुक केवल 30.4.2016 यानी इस याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान ही उत्पन्न होगा।प्रतिवादी का तर्क कि याचिकाकर्ता ने दिनांकित 28.4.2011 के निर्णय को चुनौती नहीं दी है, बाद के विकास को देखते हुए कमजोर किया जाएगा कि याचिकाकर्ता को 30.4.2016 पर आपराधिक

कार्यवाही में बरी कर दिया गया था।इसलिए, बाद के विकास को देखते हुए कि याचिकाकर्ता को 30.4.2016 पर आपराधिक कार्यवाही में बरी कर दिया गया है, आधिकारिक प्रतिवादी को श्री बी. एस. वालिया के बराबर वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित याचिकाकर्ता की शिकायत पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, जो अनुवादक के संवर्ग में याचिकाकर्ता से तत्काल कनिष्ठ हैं।श्री बी. एस. वालिया, जो याचिकाकर्ता के तत्काल कनिष्ठ हैं, की सेवा विशेष यह है कि उन्हें 6.2.1998 पर पर्यवेक्षक के पद पर और आगे क्रमशः 3.5.2002 और 8.2.2007 से अधीक्षक ग्रेड-I और सहायक पंजीयक के पद पर पदोन्नत किया गया था।

(13) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या याचिकाकर्ता श्री बी. एस. वालिया के समान पर्यवेक्षक, अधीक्षक ग्रेड-I और सहायक पंजीयक के पद पर पदोन्नति का हकदार है या नहीं?

(14) निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक कार्यवाही में दंडित किया गया था और इसे संचयी प्रभाव के साथ चार वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के लिए रैंक में कमी से संशोधित किया गया था।उक्त सजा चार साल की अवधि के लिए मुद्रा में होगी, यानी बलवंत सिंह भंडार बनाम पंजाब का उच्च न्यायालय और

1995 30.4.2016 पर आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति के साथ, आधिकारिक प्रतिवादी को 6.2.1998 पर पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे की जांच करने की आवश्यकता होती है, 3.5.2002 पर अधीक्षक ग्रेड-I और 8.2.2007 पर सहायक पंजीयक श्री के बराबर। बी. एस. वालियायदि याचिकाकर्ता अन्यथा क्रमशः पर्यवेक्षक, अधीक्षक ग्रेड-I और सहायक पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है, तो आधिकारिक प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया जाता है।चूंकि 6.2.1998 पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में लगाए गए दंड की मुद्रा समाप्त हो गई है और यह तथ्य कि आपराधिक कार्यवाही में उन्हें बरी कर दिया गया था।भारत संघ और अन्य बनाम के. वी. के मामले में उच्चतम न्यायालय

जानकीरमन और अन्य 1 निम्नलिखित रूप में आयोजित किए गए:

"26. इसलिए, हम न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष से मोटे तौर पर सहमत हैं कि जब कोई कर्मचारी पूरी तरह से दोषमुक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है कि वह कम से कम दोषी नहीं पाया जाता है और उसे निंदा का जुर्माना भी नहीं दिया जाता है, तो उसे उस तारीख से अन्य लाभों के साथ उच्च पद के वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए, जिस दिन उसे सामान्य रूप से पदोन्नत किया जाता, लेकिन अनुशासनात्मक/आपराधिक

कार्यवाही के लिए।हालांकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां कार्यवाही, चाहे अनुशासनात्मक हो या आपराधिक, उदाहरण के लिए, कर्मचारी के कहने पर विलंबित होती है या अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्ति या आपराधिक कार्यवाही में बरी होना संदेह के लाभ के साथ या कर्मचारी आदि के लिए जिम्मेदार कृत्यों के कारण सबूत की अनुपलब्धता के कारण होता है। ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित अधिकारियों को यह तय करने की शक्ति होनी चाहिए कि कर्मचारी मध्यवर्ती अवधि के लिए किसी भी वेतन का हकदार है या नहीं और यदि वह ऐसा करता है, तो वह किस हद तक इसका हकदार है।जीवन जटिल होने के कारण, उन सभी परिस्थितियों का अनुमान लगाना और पूरी तरह से गणना करना संभव नहीं है जिनके तहत इस तरह का विचार आवश्यक हो सकता है।हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों की उपेक्षा करना जब वे मौजूद हों और एक अनम्य नियम निर्धारित करें कि हर मामले में जब कोई कर्मचारी अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्त हो जाता है तो उसे मध्यवर्ती अवधि के लिए सभी वेतन का हकदार होना चाहिए, प्रशासन में अनुशासन को कम करना और सार्वजनिक हितों को खतरे में डालना है।हम हैं, इसलिए, न्यायाधिकरण से सहमत होने में असमर्थ होना कि किसी कर्मचारी को वेतन से इनकार करना सभी परिस्थितियों में अवैध होगा।यद्यपि, इसलिए, हम उक्त ज्ञापन के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) के बाद पहले उप-पैराग्राफ में उक्त अंतिम वाक्य को स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात "लेकिन वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पहले की काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के लिए उसे वेतन का कोई अवशिष्ट देय नहीं होगा", हम निर्देश देते हैं कि उक्त वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य को ज्ञापन में पढ़ा जाए:"हालांकि, क्या संबंधित अधिकारी वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पहले की काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के किसी भी अवशिष्ट का हकदार होगा, और यदि ऐसा है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक अभियोजन के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।जहां प्राधिकरण वेतन अवशिष्ट या उसके कुछ हिस्से से इनकार करता है, वह ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा।"

(15) कानूनी स्थिति के साथ मामले के तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त अभ्यास आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और यदि याचिकाकर्ता अन्यथा पात्र है तो सेवा और मौद्रिक लाभ का विस्तार किया जाएगा।

(16) आपराधिक कार्यवाही विचाराधीनता होने के कारण, कुछ सेवानिवृत्ति लाभों को रोक दिया गया है और 30.4.2016 पर आपराधिक मामले में बरी होने के बाद इसका दोषमुक्ति किया गया था।ग्रेच्युटी का भुगतान नवंबर 2016 के महीने में किया गया है।याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की तारीख से ग्रेच्युटी का भुगतान होने तक की अवधि के दौरान ग्रेच्युटी राशि पर ब्याज का हकदार है।याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की तारीख से

तीन महीने की उचित अवधि को छोड़कर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने तक 1.12.2008 से ब्याज का हकदार है।

(17) ब्याज का भुगतान आज से 4 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(18) उपरोक्त अवलोकन के साथ, याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।

अमित अग्रवाल

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरुग्राम, हरियाणा।